साम्प्रदायिकता का भावनात्मक आधार - अवध की एक तस्वीर

डॉ रवीश कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, समाजशास्त्र
फ.अ.अ. राजकीय स्नात्कोत्तर महविद्यालय
महमूदाबाद, सीतापुर , उ.प्र.

प्रश्तावना (INTRODUCTION)

साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में कई विचारकों का यह मत है की सांप्रदायिक चेतना वास्तव में तीन चरणों की चेतना है ---

- पहला चरण यह कि हम किसी विशेष समुदाय के सदस्य हैं |
- दूसरा चरण यह कि क्योंकि हम एक विशेष समुदाय के सदस्य हैं इस कारण हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित एक सामान हैं |
- तीसरा चरण यह कि यदि हम एक समुदाय के हैं और हमारे हित सामान हैं तो वह अन्य समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों के विरोधी होंगे |

साम्प्रदायिकता की इस समझ में इसके तीनों चरण इस प्रकार के हैं की इन तीनों पर अलग-अलग विचार किया जा सकता है | ऐसा बिलकुल नहीं है की यदि हम एक चरण को मानते हैं तो दुसरे चरण को मनना या दुसरे चरण को मानते हैं तो तीसरे चरण को मानना हमारी बाध्यता है ; उदहारण के लिए हम भारतीय हैं ; या हम शिक्षार्थी हैं ; इसलिए हमारे हित एक सामान हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह अन्य के हितों के विरोधी हों | साम्प्रदायिकता के इन तीनों चरणों को जब हम जोड़कर चलते हैं तब समाज के समक्ष एक भयावह तस्वीर सामने आती है | विश्व के विभिन्न देशों में इसे अलग-अलग वर्गीकरण के रूप में देखा जा सकता है | भारत के सन्दर्भ में इसे प्रायः हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई के रूप में देखा जाता है | भारत में आजादी के पहले या आजादी के बाद कई अवसरों पर विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक कारणों से साम्प्रदायिकता का भयावह स्वरुप देखने को मिला है |

साम्प्रदायिकता की ऐतिहासिकता

विपिन चंद्रा के अनुसार "आधुनिक युग में सांप्रदायिकता राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रतिक्रियावाद का एक ऐसा प्रमुख हथियार रहा है जिसके विरुद्ध सभी मोर्चों पर लड़ना आवश्यक था और जिसे किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती थी"|[1] सांप्रदायिकता द्वारा जनसामान्य अपने घटकवादी, आर्थिक, राजनीतिक स्वार्थों को सांप्रदायिक विचारधारा तथा धार्मिक अस्मिता के मुखौटे में छिपा भी सकते हैं | सांप्रदायिकता उनके स्वार्थों के लिए न केवल नैतिक और विचारधारात्मक आड़ बनती रही है, अपितु धार्मिक भावनाओं से प्रेरित जनसमर्थन भी जुटाती रही है |

एक अन्य स्थान पर विपिन चंद्र लिखते हैं कि "1870 और 1880 के दशकों में हिंदू और मुसलमान भूस्वामियों और सरकारी अधिकारियों ने

एक साथ ही रूढ़िवादी राजनीति विकसित करने का प्रयास किया था ताकि वह अपने सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा तथा संवर्धन कर सकें | चूँकि उभरते हुए मध्य वर्ग तथा जनतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन से उन्हें खतरा महसूस हो रहा था | कांग्रेस सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगिता और विधायिकाओं के लिए चुनाव की मांग कर रहे थी जबकि जागीरदारी तत्व चाहते थे कि इन क्षेत्रों में नामांकन की प्रथा जारी रहे" |[2]

हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायवादियों ने ऐसे राजनीतिक दृष्टिकोण अपना रखे थे जो मूलतः जनतंत्र और सामाजिक समानता के विचारों के विरोधी थे | इस संबंध में एक धारणा यह थी कि सामाजिक समता और जनतंत्र पाश्चात्य संकल्पनाएं हैं जो भारतीय सामाजिक गठन तथा प्राचीन भारतीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने 1933 में कहा था कि "राजनीतिक प्रतिक्रिया ही सांप्रदायिकता के रुप में देश को त्रस्त किए जा रही है और उसने मित्र संप्रदायों के पारस्परिक भय का लाभ उठाया है"|[3]

हिंदू महासभा के 1940 के अधिवेशन में सभापति पद से बोलते हुए बी. डी. सावरकर ने हिंदू राजाओं का प्रबल समर्थन किया और कहा कि "उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका कर्तव्य ना केवल हिंदुओं के प्रति सहानुभूति रखने तक सीमित है अपितु उन्हें हिंदू आंदोलन का नेतृत्व भी करना है, और यह भी कि उनके वर्तमान और भावी हित सर्व-हिंदू आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं" |[4] वी. शिवा राव ने दर्शाया है कि किस प्रकार 1930 के दशक में हिंदू नरेश भी मुस्लिम लीग के प्रति सहानुभूति रखने लगे थे ,क्योंकि कांग्रेस उनके विरुद्ध जन-संघर्ष को अपना समर्थन दे रही थी | इस पर राव ने चर्चा करते हुए कहा था कि "हम लीग का समर्थन क्यों न करें ? मिस्टर नेहरु तो राजाओं को समाप्त करना चाहते हैं "|[5] हिंदू संप्रदायवादियों का आरोप था कि कांग्रेस केरल, कश्मीर और राजकोट जैसी हिंदू रियासतों के विरुद्ध आंदोलन चला रही है और हैदराबाद तथा भोपाल जैसी मुस्लिम जनतांत्रिक अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलन का समर्थन जानबूझकर नहीं कर रही है |[6] दूसरी ओर मुस्लिम लीग कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि वह केवल निजाम और हैदराबाद के पीछे पड़ी हुई है तथा कश्मीर के मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं जहां का राजा हिंदू हैं |[7]

उपनिवेशी विचारक भारत में विदेशी शासन के पक्ष में यह दलील देने लगे थे कि भारत के विभिन्न समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए किसी तीसरी शक्ति के ईमानदार साम्राज्य की आवश्यकता है, अन्यथा वे समुदाय एक-दूसरे को फाड़ देंगे, विशेष रूप से "अल्पसंख्यक समुदायों" को बहुसंख्यक समुदाय के शोषण और आधिपत्य से बचाने के लिए विदेशी शासन बड़ा जरूरी है | इस प्रकार सांप्रदायिकता उपनिवेशवाद के विचारधारात्मक और राजनीतिक औचित्य स्थापना का एक महत्वपूर्ण और आगे चलकर एकमात्र आधार रह गया था | इतना ही नहीं संप्रदायवादी इस सरकारी विचारधारा को पूर्णतया स्वीकार करते थे और इसे दृढ करने में सहायक भी होते थे |[8]

हिंदू महासभा 1935 के बाद बी.जे. सावरकर के नेतृत्व में आई | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक शक्ति के रूप में उभरने लगा | इन दोनों में से अब कोई भी खुलेआम राजभक्ति नहीं दर्शाता था , बल्कि वह तो अब राष्ट्रीयता और भारत को स्वतंत्र कराने की इच्छा भी प्रकट करते थे | उदाहरण के लिए हिंदू महासभा के 1938 के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए सावरकर ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने तथा कांग्रेसियों पर

मुस्लिम लीग के आगे पीछे घूमने का आरोप लगाया | उन्होंने हिंदुओं से कांग्रेस का बहिष्कार करने को कहा क्योंकि वह हिंदू विरोधी तथा राष्ट्रीय विरोधी संस्था हो गई है |[9]

यह सच है कि पहले से वर्तमान सामाजिक समूह ने सांप्रदायिकता को उपयोगी समझकर वर्तमान सामाजिक परिस्थिति और जनसामान्य की पिछड़ी हुई चेतना का लाभ उठाया तथा सांप्रदायिकता के माध्यम से सामाजिक समर्थन प्राप्त किया था | जहां सांप्रदायिकता का अध्ययन सामान्य धर्म इत्यादि से अनुप्राणित होता था वही सांप्रदायिक नेता समाज के प्रतिक्रियावादी धर्म और वर्गीय संस्था तथा उसके पीछे खड़ी उपनिवेशी शक्तियां सांप्रदायिकता का प्रयोग जनतंत्र , सामाजिक परिवर्तन और साम्राज्यवाद विरोधी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करने के लिए करती थी | नेहरू का तात्पर्य इसी से था जब उन्होंने कहा : "और यही राजनीतिक प्रतिक्रिया सांप्रदायिकता के भेष में हमारे देश पर मडराती रही है |

धर्म का राजनीतिकरण एवं व्यापारीकरण कर दिया गया है | सांप्रदायिक संगठनों की उत्पत्ति हुई है, जो अन्य के प्रति घृणा का उपदेश देते हैं | प्रस्तुत अध्ययन में सांप्रदायिकता के भावानात्मक आधार को जानने के लिए 300 उत्तरदाताओं का चयन कर इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए तथा प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण व्यवस्थित रुप से प्रस्तुत किया जा रहा है

धर्म को किस रूप में लिया जाता है , इसके जवाब में 18.6 प्रतिशत हिंदू उत्तरदाता धर्म को व्यक्तिगत मानते हैं , 24 प्रतिशत हिंदू उत्तरदाता धर्म को सामाजिक मुद्दा मानते हैं , जबकि 12.7 प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाता ही धर्म को सामाजिक मुद्दा मानते हैं | सबसे अधिक 49.4 प्रतिशत हिंदू उत्तरदाता तथा 50 प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाताओं ने धर्म को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का मुद्दा माना है | 3 प्रतिशत हिंदू उतरदाता तथा 5 प्रतिशत मुस्लिम उतरदाता धर्म के संबंध में कोई राय नहीं रखते हैं |

धर्म की भावनात्मकता पर सामान्य वर्ग के 84 प्रतिशत ,पिछड़ी जातियों के 68 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के 7 प्रतिशत लोग धर्म को एक भावनात्मक मुद्दा मानते हैं| वही मुसलमानों में शिया तथा सुन्नी दोनों समुदायों के 56 प्रतिशत लोग ही धर्म को भावनात्मक मुद्दा मानते हैं | 28 प्रतिशत हिंदू उत्तरदाता तथा 34 प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाता धर्म को एक भावनात्मक मुद्दा मानने को तैयार नहीं है | मुस्लिम समुदाय के 10 प्रतिशत लोग तथा हिंदू में मात्र 1.4 प्रतिशत लोग इस संबंध में कोई राय नहीं रखते हैं | मुस्लिम तथा हिंदू दोनों समुदाय के अधिकांश लोग धर्म को एक भावनात्मक मुद्दा मानते हैं |

अन्य समुदाय के प्रति द्रष्टिकोण के सन्दर्भ में सामान्य वर्ग के 42 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के 60 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 52 प्रतिशत लोग इस बात से सहमत हैं, जबकि 48 प्रतिशत शिया समुदाय के लोग तथा 52 प्रतिशत सुन्नी समुदाय के लोग इस बात से सहमत नहीं है| 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग , 32 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग तथा 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग इस बात से सहमत नहीं है वही 44 प्रतिशत शिया तथा 34.6 प्रतिशत सुन्नी समुदाय के लोग इस मत से सहमत हैं | हिन्दू समुदाय के 13.4 प्रतिशत तथा मुस्लिम समुदाय के 10.6 प्रतिशत लोग इस सम्बन्ध में कोई राय नहीं रखते हैं |

धर्म की आलोचना के संबंध में मात्र 4 प्रतिशत हिंदुओं को ही क्रोध आता है जबकि 20

प्रतिशत शिया तथा 12 प्रतिशत सुन्नी क्रोधित होते हैं | 5.4 प्रतिशत हिंदू तथा 10.6 प्रतिशत मुस्लिम मानते हैं कि जब कोई धर्म की आलोचना करता है तो वह चुपचाप यहां से चले जाते हैं | 24 प्रतिशत हिंदू तथा 20.7 प्रतिशत मुस्लिम मानते हैं कि सामने वाले की बातों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं | सबसे अधिक 66.4 प्रतिशत हिंदू तथा 52.7 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोग धार्मिक विवाद के समय उसके निराकरण का प्रयास करते हैं|

धार्मिक नियमों में विसंगतियों के संदर्भ में सामान्य वर्ग के 80 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के 84 प्रतिशत, तथा अनुसूचित जाति के 86 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि परिवर्तन के क्रम में धार्मिक नियमों में कुछ विसंगतियां आ गई है | जबकि 20 प्रतिशत शिया तथा 25 प्रतिशत सुन्नी उत्तरदाता इस बात से सहमत नहीं है | 30 प्रतिशत हिंदू उत्तरदाताओं ने इस संबंध में नकारात्मक मत प्रस्तुत किया, जबकि 74.6 प्रतिशत शिया तथा 60 प्रतिशत सुन्नी उत्तरदाता मानते हैं कि परिवर्तन के साथ धार्मिक नियमों में कुछ विसंगतियां आ गई हैं | 6.7 प्रतिशत हिंदू उत्तरदाता तथा 6.6 प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाता इस संबंध में कोई राय नहीं रखते |

धर्म के आधार के संबंध में सामान्य वर्ग के 20 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के 36 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 12 प्रतिशत लोग धर्म को केवल आस्था का विषय मानते हैं | सबसे अधिक सुन्नी समुदाय के 48 प्रतिशत लोग तथा सबसे कम अनुसूचित जाति के 12 प्रतिशत लोग धर्म का आधार आस्था को मानते हैं | कुल 2.7 प्रतिशत हिंदू तथा 12 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि धर्म केवल विवेक पर आधारित होता है | दोनों वर्गों सामान्य तथा अनुसूचित जाति के 80 प्रतिशत लोगों का मानना है कि धर्म आस्था और विवेक दोनों पर आधारित होता है , वही शिया समुदाय के 72 प्रतिशत तथा सुन्नी समुदाय के 44 प्रतिशत लोगों का भी यही मत है |

धार्मिक श्रेष्ठता के संबंध में सामान्य वर्ग 14.4 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग की 20 प्रतिशत, तथा अनुसूचित जाति के 28 प्रतिशत लोग यह मानते हैं कि उनका धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है जबकि शिया समुदाय के 8 प्रतिशत लोगों का मानना है कि उनका धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ नहीं है| हिंदू समुदाय के 12 प्रतिशत लोगों का मानना है कि उनका धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ नहीं है , लेकिन मुस्लिम समुदाय के 58 प्रतिशत लोगों का मानना है कि उनका धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है | हिंदू समुदाय के 57.4 प्रतिशत लोग तथा मुस्लिम समुदाय के 38 प्रतिशत लोग यह मानते हैं कि सभी धर्म श्रेष्ठ है |

अन्य धर्म के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में सामान्य वर्ग के 68 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 76 प्रतिशत लोगों का मानना है कि वह अन्य धर्म का सम्मान करते हैं, जबकि 5.4 प्रतिशत मुस्लिम मानते हैं कि वह अन्य धर्म को हेय दृष्टि से देखते हैं | शिया समुदाय के 80 प्रतिशत तथा सुन्नी समुदाय के 89.4 प्रतिशत लोग अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं जबकि अनुसूचित जाति के 4 प्रतिशत लोग अन्य धर्म को हेय दृष्टि से देखते हैं | 22.6 प्रतिशत हिंदू तथा 10 प्रतिशत मुस्लिम लोग अन्य धर्म के प्रति उदासीन रहते हैं |

अपने धर्म की कमजोरियों को स्वीकार करने के संबंध में सामान्य वर्ग के 96 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 92 प्रतिशत लोग अपने धर्म की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं | जबकि शिया समुदाय के 46 प्रतिशत तथा सुन्नी समुदाय के 52 प्रतिशत लोग अपने धर्म की कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते | मात्र 8 प्रतिशत

हिंदू ही मानते हैं कि उनके धर्म में कोई कमी नहीं है जबकि 52 प्रतिशत शिया तथा 48 प्रतिशत सुन्नी अपने धर्म में कमजोरियों को स्वीकार करते हैं |

धर्म आपकी दृष्टि में क्या है ,इसके संबंध में सामान्य वर्ग के 60 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के 78 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 60 प्रतिशत लोग धर्म को आदर्श व्यवहार के निर्देशक तत्व मानते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के 26 प्रतिशत लोग धर्म को व्यवहारिक नियमों का अनुपालन मानते हैं | शिया समुदाय के 8 प्रतिशत तथा सुन्नी समुदाय के 32 प्रतिशत लोग धर्म को केवल अमूर्त शक्ति में विश्वास मानते हैं, जबकि 12 प्रतिशत हिंदू इसे व्यवहारिक नियमों का अनुपालन मानते हैं | मुस्लिम समुदाय के 50 प्रतिशत लोग धर्म को आदर्श व्यवहार के निर्देशक तत्व मानते हैं जबकि 18.6 प्रतिशत हिन्दू धर्म को अमूर्त शक्ति में विश्वास मात्र मानते हैं |

अन्य धर्म की जिज्ञासा के संबंध में पिछड़े वर्ग के 92 प्रतिशत, सामान्य तथा अनुसूचित जाति के 100 प्रतिशत लोग अन्य धर्मों के विषय में जानने के इच्छुक हैं, जबकि 2.6 प्रतिशत शिया समुदाय के तथा 12 प्रतिशत सुन्नी समुदाय के लोग अन्य धर्मों के विषय में जानने के इच्छुक नहीं है | शिया समुदाय के 97.4 प्रतिशत तथा सुन्नी समुदाय के 88 प्रतिशत लोग अन्य धर्म के विषय में जानने के इच्छुक हैं , जबकि मात्र 2.6 प्रतिशत हिंदुओं ने इस प्रश्न पर अपना नकारात्मक जवाब दिया |

धर्म और शिक्षा में कैसा संबंध है इसके बारे में सामान्य वर्ग के 72 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति की 64 प्रतिशत उत्तरदाता धर्म और शिक्षा को एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं | जबकि शिया समुदाय के 40 प्रतिशत ,सुन्नी समुदाय के 4 प्रतिशत उत्तरदाता धर्म और शिक्षा को एक दूसरे के प्रतिकूल मानते हैं | हिंदू समुदाय के 13.4 प्रतिशत उत्तरदाता धर्म और शिक्षा में प्रतिकूल संबंध मानते हैं वही मुस्लिम समुदाय के 48 प्रतिशत उत्तरदाता धर्म और शिक्षा को एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं | हिंदू समुदाय के 28 प्रतिशत, मुस्लिम समुदाय के 26 प्रतिशत उत्तरदाता धर्म और शिक्षा में कोई संबंध नहीं मानते |

आप अन्य समुदायों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के सम्बन्ध में सामान्य वर्ग के 36 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 56 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रकार के विवाह को राष्ट्रीय एकता में सहायक मानते हैं, जबकि शिया समुदाय के 28 प्रतिशत तथा सुन्नी समुदाय के 20 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य धर्म से विवाह का निषेध करते हैं | हिंदू समुदाय के 29.4 प्रतिशत उत्तरदाता तथा मुस्लिम समुदाय के 26 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह संबंधों को समय की आवश्यकता मानते हैं | 29.4 प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाता इस प्रकार के विवाह को राष्ट्रीय एकता में सहायक मानते हैं जबकि 19.8 प्रतिशत हिन्दू उत्तरदाता इस प्रकार के विवाह का निषेध करते हैं| हिंदू समुदाय के 13.4 प्रतिशत उत्तरदाता तथा मुस्लिम समुदाय के 20.6 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रकार के विवाह को विवश स्वीकृति मानते हैं |

दूसरे धर्म के धार्मिक क्रिया-कलाप में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में सामान्य वर्ग के 88 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के 94 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 80 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात को स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति को एक दूसरे के धार्मिक क्रियाकलाप में सम्मिलित होना चाहिए, जबकि मुस्लिम समुदाय के 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न का नकारात्मक जवाब दिया है | मुस्लिम समुदाय के 76 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से

सहमत हैं कि लोगों को एक दूसरे के धार्मिक क्रियाकलाप में सम्मिलित होना चाहिए, जबकि हिंदू समुदाय के 8.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न का नकारात्मक जवाब दिया है | हिन्दू समुदाय के 4 प्रतिशत तथा मुस्लिम समुदाय के 2 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अपनी कोई राय नहीं रखते हैं |

अन्य धर्मों के धार्मिक प्रतीकों के सम्मान के सम्बन्ध में सामान्य वर्ग के 86 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के 80 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 84 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य धर्मों की धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करते हैं | जबकि मुस्लिम समुदाय के 18.6 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार करते हैं कि वह अन्य धर्मों की धार्मिक प्रतीकों का उतना सम्मान नहीं करते जितना कि अपने धर्म का | हिंदू समुदाय के 8.6 प्रतिशत उत्तरदाता तथा मुस्लिम समुदाय के 8 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अपनी कोई राय नहीं रखते |

बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के शोषण करने के संबंध में सामान्य वर्ग के 72 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के 48 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति की 54 प्रतिशत उत्तरदाता यह स्वीकार नहीं करते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण करता है | जबकि शिया समुदाय की 54.6 प्रतिशत तथा सुन्नी समुदाय के 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण करता है | केवल 32.6 प्रतिशत मुस्लिम उत्तरदाता ही यह मानते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण नहीं करता है| हिंदू समुदाय के 14 प्रतिशत, मुस्लिम समुदाय के 12 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय पर अपनी कोई राय नहीं रखते हैं |

प्रस्तुत अध्ययन में सांप्रदायिकता से संबंधित मनोदशा को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है| सांप्रदायिक हिंसा को वैधता प्रदान करने के लिए हर समुदाय अपने तर्क करता है| यह तर्क उस समुदाय के सदस्यों की मानसिकता में इतने गहरे बैठ जाती हैं कि अक्सर वह इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान का अंग मानने लगते हैं | इन्हीं तर्कों से दूसरे समुदायों के बारे में कोई समुदाय पूर्वाग्रह पर लेता है | अपने को अहिंसक, उदार या धर्मभीरु मानना और दूसरे समुदाय को स्वभावतः क्रूर, धूर्त, कट्टर और अविश्वसनीय रूप में देखना ऐसे पूर्वाग्रह हैं जिन्हें आमतौर से सभी समुदाय अपनी सोच के अभिन्न अंग के रूप में बनाए रखना चाहते हैं और इन पर किसी भी बहस से परहेज करते हैं | प्रत्येक धर्म के अपने आचार-विचार तथा नैतिकता होती है जिससे उनका दिन-प्रतिदिन का जीवन अनुशासित होता है | धर्म व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा होता है | हम अपने अध्ययन पाते हैं कि हिंदू समुदाय के तथा मुस्लिम समुदाय के अधिकांश उत्तरदाता इसे एक भावनात्मक मुद्दा मानते हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकांश हिंदू तथा मुस्लिम उत्तरदाता अपने समुदाय की अपेक्षा अन्य समुदाय को असहिष्णु मानते हैं | दूसरे धर्म की आलोचना के संदर्भ में अधिकांश उत्तरदाता आपसी बातचीत के माध्यम से इसके निराकरण के प्रयास की बात करते हैं | धार्मिक श्रेष्ठता के संबंध में हिंदू समुदाय के अधिकांश उत्तरदाता सभी धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं जबकि मुस्लिम उत्तरदाता अपने धर्म को सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं | भारत एक बहु धर्मी राष्ट्र है जहां पर अनेक धर्म के लोग प्राचीन समय से साथ-साथ रहते आए हैं | कई बार कुछ लोग अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरे धर्म का अनादर करते हैं जिससे देश में धार्मिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है |

कभी-कभी धार्मिक तनाव इतना व्यापक होता है कि वह सांप्रदायिक दंगों का रूप धारण कर लेता है | अध्ययन से ज्ञात होता है कि हिंदू समुदाय के 76 प्रतिशत उत्तरदाता तथा मुस्लिम समुदाय की 84.6 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य धर्म का सम्मान करते हैं | स्पष्ट है सांप्रदायिकता की भयावहता दोनों संप्रदायों के व्यक्तियों की मानसिकता में नहीं बैठी है , इसके पीछे उस समय के राजनीतिक तथा सामाजिक कारक जिम्मेदार होते हैं जो उनकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं | इस अध्ययन से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि सांप्रदायिकता कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है , बल्कि इसे अंग्रेजों की "फूट डालो तथा राज करो" के सिद्धांत का परिणाम कहा जा सकता है और उसके बाद स्वार्थपरक राजनीति ने इसके स्वरूप को बिगाड़ने का कार्य किया है | वर्तमान समय के परिदृश्य में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी धर्म के व्यक्तियों में भावनात्मक स्तर पर सांप्रदायिकता के तत्व मौजूद नहीं है |

सन्दर्भ

1. चन्द्र, विपिन, आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता, नई दिल्ली, 1996, प्रष्ठ 61-62 |
2. खान, सैय्यद अहमद, राइटिंग्स एंड स्पेसीज, लाहौर, 1962, प्रष्ठ 209-210 |
3. नेहरु, जवाहरलाल, सिलेक्टेड वर्क्स, सं. गोपाल,एस., खण्ड 6, नई दिल्ली, 1972, प्रष्ठ 164 |
4. सावरकर, वी. डी., हिन्दू राष्ट्र दर्शन- ए कलेक्सन ऑफ़ प्रेसिडेंसियल स्पीसेज, बम्बई, 1949, प्रष्ठ 171-172 |
5. राव, वी.शिवा, इंडिया , 1935-1947, नई दिल्ली, 1962, प्रष्ठ 420 |
6. सावरकर, वी.डी. , वही , प्रष्ठ 78,91-92 |
7. जिन्ना, एम. ए., स्पीचेज एंड राइटिंग्स, दो खण्ड, अहमद, जमीलुद्दीन लाहौर द्वारा सम्पादित, खण्ड एक,1960, प्रष्ठ 75-76 |
8. चन्द्र, विपिन, वही, प्रष्ठ 77-78 |
9. सावरकर वी. डी., हिन्दू राष्ट्र दर्शन - ए कलेक्सन आफ प्रेसीडेंसियल स्पीचेज, बम्बई, 1949, प्रष्ठ 71, 298 |

Copyright © 2017 *Dr. Ravish Kumar Singh*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.